न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

CD 9248
28Leet
+9250

A.B.P. No-370/2026

Udakishunganj P.S. Case No.-374/2025

1. बुच्ची देवी उर्फ अनिता देवी उम्र करीब 36 वर्ष पति अजबलाल महतो
2. पंचलाल महतो उर्फ पंचलाल कुमार उम्र करीब 28 वर्ष पे0 बनेलाल महतो
3. रबिना देवी उर्फ रबीना कुमारी उम्र करीब 26 वर्ष पति पंचलाल महतो
4. अजबलाल महतो उम्र करीब 42 वर्ष पे0 बनेलाल महतो
5. बनेलाल महतो उम्र करीब 83 वर्ष पे0 स्व0 भदय महतो उर्फ भदई मंडल

(सभी साकिन – हरेली, सोनवर्षा, वार्ड नं0–01, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला – मधेपुरा।)
.........अभियुक्तगण।

बनाम

बिहार सरकार ....विपक्षी।

16-06-2026

जमानत आवेदन अभियुक्त **बुच्ची देवी उर्फ अनिता देवी, पंचलाल महतो उर्फ पंचलाल कुमार, रबिना देवी उर्फ रबीना कुमारी, अजबलाल महतो एवं बनेलाल महतो** के द्वारा उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या–374/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 109(1), 74, 303(2), 352, 3(5), 103(1) बी.एन.एस में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम यादव को दी जा चुकी है।

सूचिका के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 26.10. 2025 को समय करीब 6 बजे संध्या में वह अपने परिवार के साथ घर में थी कि अजबलाल महतो, मुखलाल महतो, पंचलाल महतो, बबलू कुमार, नवल महतो, बनेलाल महतो, रवीना देवी, विजेन महतो, बुच्ची देवी एवं रूपम देवी उसके घर आया और सभी ने गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए हम सभी परिवार के सदस्य को लप्पड़–थप्पड़ वो मुक्का से मारपीट करना शुरू कर दिया उसकी सास भगिया देवी उसे बचाने आयी तो बनेलाल महतो ने अन्य विपक्षी को आदेश दिया कि देखते क्या हो आज इस हरामजादी का हत्या कर दो इतने में अजबलाल महतो ने अपने हाथ में लिये बास से भगीया देवी के शरीर पर कई जगह मारा जिससे भगीया देवी जमीन पर गिर गयी और पंचलाल महतो ने अपने हाथ में लिया ईट से भगीया देवी के माथे पर कई बार मारा जिससे माथे में बहुत बड़ा सुजन हो गया और उसी वक्त भगीया देवी बेहोश हो गयी इतने में उसका देवर पवन महतो भगीया देवी को उठाकर अस्पताल जाने के लिए तैयार हुआ कि मुखलाल महतो ने अपने हाथ में लिये ईट से कंधा और कमर पर कई बार मारा जिससे दोनों जगह सुजन हो गया। उसके गले से चांदी का चेन वजन 9 भर का किमत 10 हजार रूपया का रवीना देवी ने खिच लिया, पवन के जेब से नवल कुमार ने 8300 रूपया निकाल लिया। उसके घर से विजेन महतो ने बड़ा स्टेन फैन किमत 3500 रूपया का ले लिया। बुची देवी और रूपम देवी ने उसके घर से अन्य किमती सामान लगभग 14000 रूपया का लेकर चली गयी तब आरा पड़ोस का कई लोग आये भगीया देवी का बेहतर इलाज हेतु स्थानीय अस्पताल उदाकिशुनगंज लाये और अस्पताल के चिकित्सक ने भगीया देवी के गंभीर स्थिति को देख मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचिका के टंकित आवेदन के आधार पर उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 374/2025 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 74, 303(2), 352, 3(5), 103(1) बी.एन.एस के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

16-06-2026
लगातार

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शंभू नारायण यादव, द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्तगण इससे पूर्व किसी भी न्यायालय में कोई भी जमानत आवेदन ना दाखिल किया ना लंबित है। आवेदक अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। धारा 109(1), 74 एवं 303(2) को छोड़कर अन्य धारा जमानतीय प्रकृति के है। जहाँ तक 109(1) का प्रश्न है उसमें न तो किसी भी प्रार्थी पर हत्या करने का नियत स्पष्ट है और ना ही किसी घातक हथियार वो लाठी डंडा से भी किसी प्राथमिकी अभियुक्त के साथ रहने या होने का अभियोग है। जहाँ तक धारा 74 का प्रश्न है वह भी प्राथमिकी अभियुक्तगण पर किसी को भी लज्जा भग करने के उद्देश्य से अपराधिक दल के प्रयोग का होना भी वर्णित नहीं है जिससे 74 बी.एन.एस की धारा प्रार्थीगण पर नहीं बनता है तथा 303(2) का अभियोग भी स्पेशिपक रूप से किसी पर नहीं बनता है मात्र मामला को गंभीर बनाने के उद्देश्य से ही यह झूठा बनावटी अभियोग लगाया गया है। सूचिका एवं अभियुक्तगण के बीच कुछ सीमांकन को लेकर जमीनी विवाद है जिसमें सूचिका एवं अभियुक्तगण के बीच टटटी को लगाने को लेकर ही कुछ तनावपूर्ण वातावरण हुआ। बल्कि सूचिका के साथ भी कोई मारपीट व गाली–गुप्ता तक नहीं हुआ तथा उसकी सास भगिया देवी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। भगिया देवी पूर्व से काफी बीमार रहती थी तथा दोनों सास पतोहू के बीच इलाज के कम में खर्च ज्यादा होने के बावजूद सूचिका के सास ठीक से परहेज नहीं करते थे तथा सूचिका एवं उसके सास भगिया देवी के बीच ही धक्का मुक्की होने से भगिया देवी का इलाज के कम में मौत हुई है तथा प्रार्थीगण को उक्त मुकदमा में मौका पाकर गलत फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय की संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान की जाय।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, मूल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी की छायाप्रति का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि *Informant Runa Devi alleged that on 26.10.2025 at 18:00 hours she was inside the house along with her family members, Ajablal Mahton, Muklal Mahton, Panchlal Mahton, Bablu Kumar, Nawal Mahton, Banelal Mahton, Rabina Devi, Bijen Mahton, Buchhi Devi, Rupam Devi came to house of informant and began abusing family members and assaulting with slaps and fists. Mother-in-law of informant Bhagiya Devi came to rescue informant, Banelal Mahton commanded let she be murdered. Ajablal Mahton took bamboo and began assaulting Bhagiya Devi over her body. Being beaten Bhagiya Devi fell to ground, Panchlal Mahton picked up bricks and assaulted Bhagiya Devi over head. Bhagiya Devi got serious injury over head and fell unconscious. Brother-in-law of informant Pawan Mahton lifted Bhagiya Devi to be taken to hospital, on this Muklal Mahton assaulted Bhagiya Devi and Pawan Mahton by brick- stone, silver chain valued Rs. 10,000/- was snatched away by Rabina Devi, Rs. 8,300/- stole away from pocket of Pawan Mahton by Nawal Kumar. Bijen Mahton took away stand fan for Rs. 3,500/-. Buchi Devi and Rupam Devi took away other valuables of Rs. 14,000/-. Bhagiya Devi was taken to Udakishunganj hospital where her condition deteriorated and referred to Madhepura Medical College where she succumbed to her injuries.*

On perusal of postmortem report the cause of death is "Cardio Respiratory failure due to septic shock along with Hypovolumric shock due to secondary infection".

Earlier the case was registered under section 109(1) B.N.S. and subsequently 103(1) B.N.S. was added when victim Bhagiya Devi died in course of medical treatment at Madhepura Medical College.

Litigants are neighbor and might have land dispute but they alleged to have committed heinous offence resulting into death of victim Bhagiya Devi due to assault and subsequent infection. In such circumstances, I am not inclined to enlarge the petitioner on anticipatory bail. It is therefore, the bail application of petitioners stand ***Rejected.***

लेखाप्रित

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।